डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
मोहान रोड, लखनऊ: 226 017 दूरभाष नं0–8004930056/0522-2999862/3/2998380/1/2/3294434 वेबसाइट: http://dsmru.up.nic.in

द्वाराः–ई–मेल / महत्वपूर्ण

आवश्यक–सूचना

एतद्द्वारा समस्त सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं / कॉलेजों को सूचित किया जाता है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 101 / 2017 / आर–1614 / 26–3–2017–4 (358) / 07 / टी.सी.–3 दिनांक 23.06.2017 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन–जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली–2012 (यथा संशोधन–2016) के नियम–6 उपनियम (xviii) में वर्णित व्यवस्था कि **''शैक्षिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थिति वाले छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य होगी। यही व्यवस्था सामान्य वर्ग के छात्रों पर भी लागू है।''** तत्क्रम में निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0 द्वारा निर्गत पत्र संख्या 3167 स.क. / शि.–अ / 3 / 50 / लखनऊ / 2017–18 दिनांक 13.09.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थाओं / कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2017–18 से संगत पाठ्यक्रमों में छात्र–छात्राओं की 75 प्रतिशत की न्यूनतम् उपस्थिति की अनिवार्य गणना हेतु बायोमैट्रिक मशीन स्थापित कराये की अपेक्षा की गई है।

अतः उपरोक्तानुसार निर्गत निर्देश के अनुपालनर्थ शैक्षिक सत्र 2017–18 से संगत सम्बद्ध पाठ्यक्रमों में छात्र–छात्राओं की 75 प्रतिशत की न्यूनतम् उपस्थिति की अनिवार्य गणना हेतु बायोमैट्रिक मशीन स्थापित कराया जाना सुनिश्चित करें।

(बिन्दू त्रिपाठी)
समन्वयक, सम्बद्धता

पत्रांक : 156 / समन्वयक सम्बद्धता कैम्प / डीएसएमएनआरयू / 2017–18 दिनांक 26.10.2017

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. स्टाफ ऑफिसर, कुलपति, विश्वविद्यालय को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
3. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. प्रो0 वी.के. सिंह, अधिष्ठाता, छात्र–कल्याण / नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, विश्वविद्यालय।
5. नोटिस बोर्ड।
6. गार्ड फाइल।

(बिन्दू त्रिपाठी)
समन्वयक, सम्बद्धता